उपायुक्त का कार्यालय (समाज कल्याण शाखा) लातेहार

अल्पकालीन निविदा सूचना

निदेशानुसार लातेहार जिला अंतर्गत समेकित बाल विकास परियोजनाओं में निःशक्त व्यक्तियों को विशेष यंत्र एव उपकरण /उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित विशेष यंत्र एवं उपस्कर /उपकरणों की आपूर्ति हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता से दिनांक 14.02.2020 के अपराह्न 01:00 तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है एवं अगले तिथि निर्धारित कर जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग लेंगें:—

क्र.स.	सामग्री का नाम	विशिष्टता	अभ्युक्ति
1.	ट्राई साईकल (वयस्क)	सभी विशेष यंत्र एवं उपकरण आई.एस. आई. कं. मार्का का होना चाहिए या एलिम्को द्वारा निर्मित हो।	
2.	व्हील चेयर (वयस्क)		
3.	श्रवण यंत्र		
4	वैशाखी (वयस्क)		

निविदा की शर्तें

1. निविदा के साथ GST/ PAN NO./फर्म का पंजीकरण की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. विगत तीन वर्षो का यथा वित्तीय वर्ष 2016—17, 2017—18 एवं 2018—19 का आयकर रिर्टन संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को निविदा के साथ 20,000/— (बीस हजार रूपये मात्र) की प्रतिभूति की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार के पदनाम से हो, जमा करना होगा।
4. निविदादाता को झारखण्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है।
5. निविदादाता को आयकर एवं विक्रीकर का अध्यतन स्वच्छता प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि वित्तीय विड के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. निविदादाता को झारखण्ड राज्य के किसी भी जिला में काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
7. सामग्री की आपूर्ति परियोजना कार्यालय के गोदाम में करनी होगी जिसके लिए अलग से कोई परिवहन एवं हथालन व्यय देय नहीं होगा।
8. आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं होगा।
9. आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रकार का कर अलग से देय नहीं होगा।
10. किसी भी निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से स्वीकार करने या रद् करने या निविदा की तिथि आगे बढ़ाने का अधिकार उपायुक्त, लातेहार के पास सुरक्षित रहेगा, जिसको चुनौती नही दी जा सकती है।
11. निविदा के अंतिम निस्तार के पश्चात् स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाता को प्रतिभूति की राशि के रूप में जमा की गई बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा।
12. प्रत्येक सामान का एक ही दर एवं नमूना देना होगा, एक से अधिक दर या नमूना होने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी। निविदा खुलने के समय प्रत्येक सामग्री का एक ही नमूना क्रय समिति की मांग पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. तकनीकि वीड एवं वित्तीय विड अलग—अलग मुहरबंद लिफाफे में देना आवश्यक होगा। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से तकनीकि वीड /वित्तीय विड अंकित रहनी चाहिए।
14. सामग्री का क्रय आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा नमूने के अनुरूप उपस्कर /उपकरण यंत्र आदि की आपूर्त्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

21.1.2020
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
लातेहार

उपायुक्त,
लातेहार।